झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

स्वी० संख्या–4 / यो0 बजट–46 / 2015 .... व०प०, राँची, दि०– 03.11.2015

प्रेषक,
एo केo रस्तोगी
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,
महालेखाकार (ले० एवं ह०),
पो०–डोरण्डा,
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य योजनांतर्गत "इको विकास, वन्य प्राणी शिक्षा एवं जागरूकता" योजना के अधीन कुल 200.00 लाख (दो करोड़) रुपये मात्र की लागत पर कार्यान्वित की जानेवाली कार्य–योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

प्रसंग:–
1. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–300 दिनांक–30.03.2015
2. विभागीय स्वी० सं०–4 / यो०ब०–46 / 2015–05 / स्वी०, दि०–12.06.2015

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि प्रसंगाधीन वित्त
विभागीय पत्र के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य योजनांतर्गत "इको विकास, वन्य प्राणी
शिक्षा एवं जागरूकता" योजना के अधीन कुल 200.00 लाख (दो करोड़) रुपये मात्र की राशि
का बजट उपबंध संसूचित है। जिसके आलोक में इस योजना अंतर्गत कुल 200.00 लाख (दो
करोड़) रुपये मात्र की लागत पर कार्यान्वित की जानेवाली कार्य–योजना की स्वीकृति प्रसंगाधीन
स्वीकृत्यादेश संख्या–4 / यो०ब०–46 / 2015– 05 / स्वी०, दि०–12.06.2015 द्वारा निर्गत है।

2. उक्त स्वीकृत्यादेश की कंडिका–2.2 के अनुसार इको विकास समितियों को पारदर्शी विधि
अपनाते हुए छः श्रेणियों में श्रेणीबद्ध करने का निर्णय संसूचित है। इको–विकास समिति के
गठन से संबंधित राज्य सरकार के संकल्प संख्या–3658 दिनांक–27.09.2001 एवं संकल्प
संख्या–6023 दिनांक–15.11.2007 में श्रेणीबद्ध करने का कोई प्रावधान नहीं है। समितियों
को श्रेणीबद्ध करने में स्थानीय वन कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का व्यक्तिगत पसंद/
नापसंद इसे प्रभावित करेगी एवं भविष्य में समितियों के कार्यकलाप पर भी प्रभाव पड़ेगा,
जिसका प्रतिकूल प्रभाव वन प्रबंधन के मूलभूत उद्देश्यों पर भी पड़ सकता है।

अतएव, प्रसंगाधीन स्वीकृत्यादेश संख्या–4 / यो०ब०–46 / 2015– 05 / स्वी०, दि०–12.06.
2015 को एतद् द्वारा निरस्त करते हुए सरकार द्वारा सुव्यवस्त वन प्रबंधन से संबंधित निर्गत
संकल्प संख्या–3658 दिनांक–27.09.2001 एवं संकल्प संख्या–6023 दिनांक–15.11.2007 में
निहित प्रावधानों के अनुरुप वित्तीय वर्ष 2015–16 में "इको विकास, वन्य प्राणी शिक्षा एवं
जागरूकता" योजना के अधीन कुल 200.00 लाख (दो करोड़) रुपये मात्र की लागत पर
कार्यान्वित की जानेवाली कार्य–योजना (परिशिष्ट–1) की स्वीकृति दी जाती है। स्वीकृत राशि
का व्यय प्रस्तावित मार्ग–निदेशिका में निहित प्रावधान से आच्छादित होगा।

3. ईको विकास समितियों को अनुमान्य राशि का सीधा हस्तांतरण (DBT) उनके बैंक लेखा
में किया जाएगा।

4. उपलब्ध करायी जाने वाली राशि की सूचना संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी के द्वारा संबंधित ईको विकास समितियों को दी जाएगी, जिनके द्वारा समिति की बैठक करते हुए आम सहमति से प्रस्ताव तैयार कर अपने वन प्रमंडल पदाधिकारी को समर्पित किए जायेंगे । समर्पित किए गए प्रस्तावों की वन प्रमंडल पदाधिकारी के स्तर पर समीक्षोपरान्त नियमानुसार स्वीकृति देते हुए कार्यान्वयन सुनिश्चित कराया जायेगा ।

5. संबधित वन प्रमंडल पदाधिकारी के द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड को समितिवार किए जा रहे कार्यों की विवरणी उपलब्ध करायी जायेगी, जिसको प्रति वन एवं पर्यावरण विभाग को दी जायेगी ।

6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड के द्वारा इस प्रशिक्षण हेतु वन प्रमंडल स्तर पर कार्य योजना तैयार करवाते हुए अनुमोदित की जायेगी, जिसकी विवरणी विभाग में समर्पित की जायेगी ;

7. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध लघुशीर्ष/इकाईवार राशि की मदवार विवरणी निम्नवत् है:—

(राशि लाख रुपये में)

शीर्ष का नाम	इकाई	विपत्र कोड	बजटीय उपबंध	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप–मुख्य शीर्ष 01—वानिकी, लघु शीर्ष 101—वन संरक्षण, विकास तथा उपोयन, उप शीर्ष 44—इको–विकास, वन्य प्राणी शिक्षा एवं जागरूकता	मजदूरी	19P240601101440103	80.000	80.000
	आपूर्ति एवं सामग्री	19P240601101440323	120.000	120.000
कुल स्वीकृत राशि— (दो करोड रुपये)			**200.000**	**200.000**

8. उक्त स्वीकृत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी परिशिष्ट—1 में अंकित विवरणी के अनुरुप होगें। राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

9. स्वीकृत की जा रही राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या—301, दिनांक—11.03.2015 के आलोक में वन एवं पर्यावरण विभाग के स्तर से निर्गत किया जायेगा।

10. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

12. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक—2561, दिनांक—17.04.1998 एवं समय—समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

13. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा कोषागार संहिता के नियम — 300 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जायेगा।

14. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इसकी एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय को समर्पित की जायेगी।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

16. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

17. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

18. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों के आलोक में की जायेगी ।

19. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या–2371, दिनांक–05.05.2015 में निरुपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0–2371, दिनांक–05.05.2015 में निरुपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप किया जायेगा।

20. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

21. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक–3542, दिनांक–19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरुप किया जायेगा

22. प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या–301, दिनांक–11.03.2015 के आलोक में प्रधान सचिव महोदय का अनुमोदन तथा आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

अनु०–यथोक्त।

(ए0 के0 रस्तोगी)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक –4/यो0 बजट–46/2015 44/स्वी० व0प0/राँची, दिनांक–03.11.2015
प्रतिलिपि :– सानुलग्नक राज्यपाल सचिवालय, झारखंड, राँची / विकास आयुक्त, झारखंड, राँची / योजना–सह–वित्त विभाग, झारखंड, राँची / सूचना, प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग, झारखंड, राँची / प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड, राँची / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखंड, राँची / संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी / आंतरिक वित्त कोषांग एवं विभागीय बजट शाखा तथा अवर सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग(विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के निमित्त) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ए० के० रस्तोगी)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक –4/यो०ब०–46/2015 44/स्वी० व0प0/राँची,दिनांक–03.11.2015
प्रतिलिपि :– सानुलग्नक संबंधित उपायुक्त/कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ए० के० रस्तोगी)
सरकार के विशेष सचिव।

अनु0–A

वित्तीय वर्ष 2015–16 में कार्यान्वित की जाने वाली "इको विकास, वन्य प्राणी शिक्षा एवं जागरूकता" योजना अंतर्गत प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र0 सं0	कार्य विवरण	समिति / प्रमंडल की सं0	दर प्रति समिति / प्रमंडल	कुल राशि (लाख रु0)	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
1	2	3	4	5	6
1.	इको विकास समिति द्वारा जलापूर्ति की व्यवस्था, सोलर लालटेन का वितरण, सोलर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, सिंचाई सुविधा, कृषि उपकरण, वृक्षारोपण एवं अन्य उपयोगी कार्य	450 समिति	रु0 35000/– प्रति समिति	157.500	1 DFO, WL Div. Ranchi 2 DFO, WL Div. Hazaribagh 3 DFO, Core Area, Palamu TP, Medininagar 4 DFO, Buffer Area, Palamu TP, Medininagar 5 DFO, Elephant Proj, Jamshedpur
2	वन्य प्राणी शिक्षा एवं जागरूकता कार्यों हेतु गैर सरकारी संस्थाओं, महाविद्यालयों एवं विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के माध्यम से आम जनता को प्रशिक्षित करना एवं जागरूकता फैलाना।	36 वन प्रमंडल	रु0 112200/– प्रति वन प्रमंडल	40.392	1 DFO, WL Div. Ranchi 2 DFO, WL Div. Hazaribagh 3 DFO, Core Area, Palamu TP, Medininagar 4 DFO, Buffer Area, Palamu TP, Medininagar 5 DFO, Elephant Proj, Jamshedpur 6 DFO, Ranchi Div. Ranchi 7 DFO, Simdega Div, Simdega 8 DFO, Gumla Div, Gumla 9 DFO, Lohardaga Div, Lohardaga 10 DFO, Khunti Div, Khunti 11 DFO, Hzb East Div, Hzb 12 DFO, Hzb West Div, Hzb 13 DFO, Kodarma Div, Kodarma 14 DFO, Chatra North Div 15 DFO, Chatra South Div 16 DFO, Medininagar Div, Medininagar 17 DFO, Latehar Div, Latehar 18 DFO, Garhwa North Div, Garhwa 19 DFO, Garhwa South Div, Garhwa 20 DFO, Dumka Div, Dumka 21 DFO, Jamtara Div, Jamtara 22 DFO, Pakur Div, Pakur 23 DFO, Sahebganj Div, Sahebganj 24 DFO, Deoghar Div, Deoghar 25 DFO, Godda Div, Godda 26 DFO, Chaibasa Div, Chaibasa 27 DFO, Saraikela Div, Saraikela 28 DFO, Kolhan Div, Chaibasa 29 DFO, Porahat Div, Chaibasa 30 DFO, Saranda Div, Chaibasa 31 DFO, Jamshedpur Div, Jamshedpur 32 DFO, Bokaro Div, Bokaro 33 DFO, Ramgarh Div, Ramgarh 34 DFO, Dhanbad Div, Dhanbad 35 DFO, Giridih East Div, Giridih 36 DFO, Giridih West Div, Giridih
3.	वन वृक्षों के रक्षाबंधन कार्य।			1.500 0.608	1 DFO, Hzb East Div, Hzb 2 DFO, Hzb West Div, Hzb
	योग :–			200.000	

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची।